

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

सार्थना पत्र संख्या

/ 2021

तहसीलदार शाहपुरा

बनाम

खेमदास

अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 8.12.2021

प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प राडावास में उप तहसीलदार अमरसर के द्वारा ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2306/1 रकबा 0.01 है0 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 2309/1 रकबा 0.03 है0 में से 0.01 है0, खातेदारी भूमि में मौके पर सार्वजनिक आम रास्ता चालू होने से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट के तहत प्राप्त हुआ । मौके पर ही प्रकरण में पक्षकारान /खातेदारों को सुना गया तथा सभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार के द्वारा राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान की । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में ग्राम पंचायत बिशनगढ के द्वारा भी मौके पर सार्वजनिक आम रास्ता चालू होना बताया है । उप तहसीलदार अमरसर ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ता होना बताया है । इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत राडावास पटवारी, गिरदावर हल्का व उप तहसीलदार अमरसर की फर्द मौका रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि मौके पर भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है । खातेदारान ने भी रास्ता दर्ज करने की सहमति प्रदान की है ।

अतः ग्राम ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2306/1 रकबा 0.01 है0 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 2309/1 रकबा 0.03 है0 में से 0.01 है0, खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु उप तहसीलदार अमरसर को आदेश जारी हों । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8.12.2021 को कैम्प बिशनगढ मे सुनाया गया ।

( मन मोहन )

उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर)

संख्या 1086

दिनांक 8/12/21

मुल ही उप तहसीलदार अमरसर के पालनाथ उजिये

एकजुआर  
मनमोहन  
8/12/2021

उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला जयपुर

६